

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.म./2022

जयपुर, दिनांक: 15/12/2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती के पदों पर वर्तमान में देय क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर प्रवर्गानुसार क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के संबंध में विधिक एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में प्रक्रियाधीन भर्तियों को समय पर पूर्ण करने के संदर्भ में आवश्यक सुझाव दिये जाने हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप समिति का एतद्वारा गठन किया जाता है:-

1. डॉ० बी०डी० कल्ला,
मा० मंत्री, शिक्षा विभाग
2. श्री रामलाल जाट
मा० मंत्री, राजस्व विभाग
3. श्री राजेन्द्र सिंह यादव
मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा एवं गृह विभाग

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग होगा एवं समिति के सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Jitenendra Kumar
Upadhyay
Designation : Secretary To Government
Date: 2022.12.15 13:24:23 IST
Reason: Approved

